

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति-पत्र

सं. १५१ / न० ३० वि

दिनांक २८.४.१५


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ३० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री ३१ अनन्द शुभमार्टे ३१ शब्दोल्ड ५१०
रुम्ह ३१ शोक शुभमार्टे ३१ शब्दोल्ड रुम्ह ३१ शब्दोल्ड रुम्ह ३१ शब्दोल्ड रुम्ह ३१ शब्दोल्ड ५१०
पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या ५१ वा फै० ७ रुम्ह गौजा - लैलीक्षा पुर्ण
वार्ड लैलीक्षा पुर्ण में नवशे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक २०



वाराणसी विकास अधिकारी

कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण

३१ श्वासणी

नोट : १- यह स्वाकृति पत्र केवल ५ वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे निरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।

२- इस अनुमति पत्र में सङ्क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नवशे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २९३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३- मकान निर्माण से यदि नाली, सङ्क की पटरी अथवा सङ्क या नाली के किसी भाग (जो मान के आगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्वावृत्त अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, मैं कर देना होगा।

४- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९७३ (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जगीनदारी उभूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विघ्नश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शार्ट

- 1:- पक्ष की स्थल पर ३५ मीटर लगाना होगा।
- 2:- वेसफैनट की इत सुरक्षा के लिए भी होना चाहा उसकी Mechanical Ventilation की व्यवस्थों को प्राकृतिक किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही स्लैब का स्ट्रक्चरल / इंजाइन आपूर्ति फायर ट्रैक्ट बार का भार बहने करने की क्षमता को अनुसार होगा।
- 3:- भवन में डॉक्याशत सुरक्षा व्यवस्थों की सम्पूर्ण विविदाएँ भवन स्वामी की होगी।
- 4:- स्वामिन ने सम्बन्ध में अधि कोड विकास होते हुए तो स्वीकृत सामग्री एवं इन सभी जारी होगा।
- 5:- सामग्री में दर्शित सड़क विस्तार हेतु सुकृति के लिए इन स्वीकृत सामग्री के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
- 6:- निर्माण के दौरान बेलमेन्ट रुदाइ हेतु सुरक्षा की सभी उपाय कराये जायेगा। तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराये जायेगा।
- 7:- पक्ष को विकृत निमां व डाइनो निमां के शर्ट का पालन करना होगा।
- 8:- पक्ष को अपने २५ वर्ष - वर्ष दिनों के - २६/१/१३ को प्रलम्बित करना होगा।
- 9:- निमां कारो एवं सवायें कोड विवरण के विभिन्न बनाने हेतु तो पक्ष कारो देय होगा।
- 10:- स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रैर्णीति प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

१५
२०/८/१५
१००

१६
२०/८/१५
१००

१७
२०/८/१५
१००

मंगर अधिकारी (मंत्री)
कल्पना प्रस्तुति, वाराणसी।